सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पोत परिवहन मंत्रालय / MINISTRY OF SHIPPING
नौवहन महानिदेशालय / DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING

टेलीफोन नः 91-22-25752040/1/2/3/5 नौवीं मंजिल, बीटा बिल्डिंग / 9TH FLOOR, BETA BUILDING Tele : 91-22- 25752040/1/2/3/5
फक्स : 91-22- 25752029/35 आइ-थिंक टेक्नो कैंपस / i-THINK TECHNO CAMPUS Fax : 91-22- 25752029/35
ई मेल : dgship-dgs@nic.in कांजुर मार्ग (पूर्व) / KANJUR MARG (EAST) E-mail: dgship-dgs@nic.in
वेब : www.dgshipping.gov.in मुंबई – 400 042 / MUMBAI – 400 042 Web: www.dgshipping.gov.in

क्रू अनुभाग परिपत्र सं.1/2016

फाईल नं.क्रू/सीडीसी/09/2015 दिनांक.07/03/2016

विषय:-सतत उन्मोचन प्रमाणपत्रों को रोके जाने की समीक्षा-संबंधी ।

मुंबई चेन्नई और कोलकाता स्तिथ नाविक पालों के सरकारी नौवहन कार्यालयों द्वारा भारतीय समुद्र कर्मियों को सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र (सीडीसी) जारी किए जारी किए जाते है । सीडीसी को जारी किया जाना समय-समय पर यथासंशोधित वाणिज्य पोत परिवहन (सीडीसी) नियमावली 2001 द्वारा शासित है ।

2. पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 07.02.97 के अपने पत्र संख्या बी - 11015/45/95-एमटी के माध्यम से, ''सरकारी अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थानों में समुद्र पूर्व प्रशिक्षण के लिए निजी क्षेत्र के प्रशिक्षण संस्थानों की मान्यता और अभ्यर्थियों का चयन के लिए मार्गदर्शी सिध्दांत जारी किए थे । उक्त मार्गदर्शी सिध्दांतों के परिच्छेद 5 में कहा गया है, जिसकी प्रासंगिकता यू है, ''प्रशिक्षण संस्थानों का उतरयित्व होगा कि सुनिस्चीत करें कि वे सीडीसी प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थियों द्वारा जो प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए गए है अधिप्रमाणित । असली हो, प्रमाणपत्रे के नकली पाए जाने पर अभ्यर्थियों को मर्चन्ट नेवी में समुद्री माध्यम से जिविकोपार्जन करने के लिए जीवन भर के लिए रोक लगा दी जाएगी । इस क्रम में नौवहन महानिदेशक, भारत सरकार ने दिनांक. 24.06.1999 के अपने पत्र संख्या 16(27)/सी आर/98 के माध्यम से उक्त निदेश नाविक पालो को दिए थे । इनके अनुपालन में जिन अभ्यर्थियों बारे में ऐसा पाया गया कि उन्होने सीडीसी प्राप्त करने के लिए नकली /झूठे/जाली प्रलेख प्रस्तुत किए उन्हें सीडीसी हेतू आवेन करने के लिए जीवन पर्यत रोक लगा दी गई ।आज तक, तदनुसार, करीब 700 अभ्यर्थियों पर जीवनभर के लिए रोक लगाई जा चुकी है ।

3. तथापि गत कुछ वर्षों में इस कार्यालय को आज तक इस तरह से रोक लगाए गए अभ्यर्थियों की ओर से तमाम आवेदन / अभ्यावेदन प्राप्त हुऐ है कि उनके मामले में सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाए और जीवनभर के लिए रोक लगाए जाने संबंधी उक्त नीती की समीक्षा की जाए ।

4. नौवहन महानिदेशालय, भारत सरकार ने उक्त नीति की समग्र रूप से और इस परिप्रेक्ष्य में समीक्षा की है ।जो कि देश मे चल रहे अन्य विधियों के आलोक में है, जो सक्षमता प्रमाणपत्र तथा प्रवीणता प्रमाणपत्रो इसके द्वारा जारी किए जाने के संबंध में सर्वोतम अंतरराष्ट्रीय रीतियों (इस संबंध में) के अनुसार तथा समरूप है ।पूर्वोक्त पर विचार करते हुए इस कार्यालय ने इस प्रकार निर्णय लिया है।

5. यदि किसी अभ्यर्थी ने हेतु सीडीसी के आवेदन के साथ नकली/झूठे/जाली प्रलेख (एकाधिक) प्रस्तुत किए हो तो वह उस समय से अगले 5 वर्ष की अवधि तक सीडीसी हेतु आवेदन करने से रोक दिया जाएगा । यदि किसी अभ्यर्थी को पहले से सीडीसी जारी किया जा चुका है और बाद में यह पाया गया कि उसने सीडीसी लेने के लिए झूठे/नकली/जाली प्रलेख (एकाधिक) प्रस्तुत किए थे तो वो सीडीसी निलंबित कर दिया जाएगा और इस निलंबन की अवंधि पाँच वर्ष से अधिक नही होगी तथापि, इस तरह की कार्रवाई वीरुध्द करने से पहले संबंधित नाविक पाल विधि तथा प्राकृति न्याय के सिध्दांतों की आवश्यक प्रक्रिया को अपनाएगा और इस आशय का आदेश जारी करेगा ।

6. यदि ऐसा पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने समुद्रीय प्रशिक्षण संस्थान (एमटीआई) में प्रवेश प्राप्त करने के लिए झूठी/जाली/नकली सूचना दी हो और उसे संबंधित एमटीआई द्वारा किए गय आवेदन के आधार पर सीडीसी जारी कर दिया हो तो उस सीडीसी को निरस्त कर दिया जाएगा और उसके द्वारा सीडीसी आवेदन करने पर रोक लगा दी जाएगी । वह दोबारा आवेदन तभी कर सकेगा जब वह एमटीआई में प्रवेश पाने हेतु पात्र हो जाए । यदि किसी अपात्र अभ्यर्थी को एमटीआई द्वारा प्रवेश दे दिया गया हो तो, किन्तु इस प्रवेश को पाने के लिए उस अभ्यर्थी द्वारा कोई झूठी जाली/नकली सूचना न दी गई हो तो ऐसे अपात्र अभ्यर्थी (एकाधिक) को प्रवेश देने के लिए संबंधित समुद्रीय प्रशिक्षण संस्थान के वीरुध्द कार्रवाई की जाएगी।

7. यह परिपत्र 15.03.2016 से लागू होगा ।जिन अभ्यर्थियों पर इस रोक को लगाए जाने के पाँच साल ,इस तारीख़ (15.03.2016) को पूरे हो गए हो (जिन पर 14.03.2011) को या उससे पहले रोक लगाई गई थी) वे सीडीसी हेतु आवेदन कर सकते है तथा पात्र पाए जाने पर सीडीसी जारी की जाएगी ।

8. इसे नौवहन महानिदेशक के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(महेश यादव)
सहायक नौवहन महानिदेशक (कु)